Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 12, Issue No. 2, January-2017, ISSN 2230-7540

आधुनिक उपन्यास प्रकृति एवं पर्यावरण

Rajiv Sharma*

Assistant Professor, RKSD College of Education, Kaithal, Haryana-136027

सार - ***प्रकृति और पुरूष का अन्योनाश्रित संबंध है। वस्तुतः सम्पूर्ण सृष्टि की रचना में इनकी एक दूसरे के पूरक की भूमिका रही है। प्रकृति के अभाव में पुरूष की कल्पना ही दुष्कर है। सत्य तो यह है कि मानव अपनी पर्यावरण की उपज है। पर्यावरण वह परिस्थिति है जो मनुष्य को चारों ओर से घेरे रहती है। इसका मनुष्य के जीवन और क्रियाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसके अन्तर्गत वे सभी परिस्थितियां, दशाएं और प्रभाव सम्मिलित हैं जो जैव अथवा जैवकीय समह पर प्रभाव डाल रही है। मनुष्य की कुल पर्यावरण संबंधी प्रणाली में न केवल जीवन मण्डल सम्मिलित है, अपितु इसके प्राकृतिक तथा मानव निर्मित प्रवेश के साथ-साथ उसकी अन्तः क्रियायें भी सम्मिलित हैं। पर्यावरण की विधि सम्मत परिभाषा में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 (क) में कहा गया है "पर्यावरण में जल, वायु, भूमि के अन्तर संबंध सम्मिलित हैं जो जल, वायु, भूमि और मानव जीव अन्य प्राणियों पौधों सूक्ष्म जीवों और सम्पत्ति के मध्य विद्यमान है" इस विधि सम्मत परिभाषा को समाज शास्त्रीय मैकाइवर के शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है "पृथ्वी का धरातल और उसकी सारी प्राकृतिक दशाएं, प्राकृतिक शक्तियां जो पृथ्वी पर विद्यमान होकर मानव जीवन को प्रभावित करती है पर्यावरण के अन्तर्गत आती है" वेबस्टर शब्दकोष के अनुसार पर्यावरण से आशय उन घेरे में रहने वाली परिस्थितियों, प्रभावों और शक्तियों से है जो सामाजिक और सांस्कृतिक दशाओं के समूह द्वारा व्यक्ति और समदाय के जीवन को प्रभावित करता है" पर्यावरणविद फिटिंग का मानना है कि "प्राणियों का पारिस्थिकीय मांग ही पर्यावरण है" युनिवर्सल विश्वकोष के अनुसार "पर्यावरण उन समस्त दशाओं अभिकरणों तथा प्रभावों का योग है जो किसी जीव, जाति या प्रजाति के विकास बढ़ोत्तरी जीवन और मरण को प्रभावित करता है।***

----------X----------

परिचय

वर्तमान समय की उपयोगिता:- वास्तव में पर्यावरण भौतिक और जीवित तथ्यों का वह समूह है जिसमें परिवर्तन की प्रक्रिया निरन्तर होती रही है। पर्यावरण विश्व व्यापी प्रभाव सभी प्राणियों पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में पड़ता है, परन्तु इसमें क्षेत्रीय विविधता स्वरूप विश्व में राष्ट्रों की अवधारणा ने जन्म लिया है। पर्यावरण ही सभ्यता, संस्कृति, जीवन शैली, जीवन मूल्य, धार्मिक आस्थाओं, विश्वासों तथा मान जीवन के विविधताओं का मुख्य रचनाकार रहा है। निष्कर्षतः पर्यावरण बाह्य परिस्थियाँ और उसका जीवन धारियों पर पड़ने वाला प्रभाव है। यह न केवल मनुष्य अपितु समस्त जीव जन्तुओं एवं वनस्पितियों के उद्भव, विकास एवं अस्तित्व का आधार है। जैन दर्शन में पदार्थ मीमांसा के अन्तर्गत छैः द्रव्य बताये गये हैं ये जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल कहे गये हैं। इनमें जीव को आत्मा कहा गया है। संसार अवस्था में इसको षटकाय जीव के रूप में पृथ्वीकाय, जलकाय, वायुकाल तथा वनस्पतिकाय में विभाजित किया गया है। ये पांच एकेन्द्रिय या स्थावर जीव पांच कार्य होते हैं तथा दो इन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय तक के त्रस-जीव छठवें त्रसकाय के अन्तर्गत लिये गये हैं इस प्रारूपण के पीछे प्रकृति तथा पर्यावरण का विशाल दृष्टिकोण छुपा हुआ है। स्थावर काय-जीवों को अधिक महत्व देने का कारण है कि पृथ्वी का प्राकृतिक पर्यावरण मूल्यतः इन्हीं से निर्मित है, इन सभी को जब हम समान रूप से जीव की ही दृष्टि से देखेंगे तो हम इनके प्रति उपेक्षाजन्य, अपराध अथवा हिन्सक प्रवृत्ति, व्यहृत करने का दुस्साहस नहीं करेंगे। इस प्रकार निश्चित रूप से पुरूष स्वयं प्रकृति और पर्यावरण के प्रति अपना व्यवहार, धर्म, नैतिकता तथा दृष्टा की अपेक्षानुरूप अधिक उत्तरदायी बनायेगा। इस तरह जैन दर्शन में जीव का षटकाय के रूप में विवेचन करके स्थूल जीवों की अपेक्षा स्थावर जीवों के प्रति अधिक जिम्मोरी का व्यवहार करने का निर्देश दिया है। यह पर्यावरण का मानवीकरण है। सामान्यतः विश्व में दो अतिवादी विचारधाराएं रही हैं, प्रथम प्रत्येक जीव को आदर प्रदान करने की जबकि द्वितीय अमानवीयता की। लेकिन वास्तविकता एवं व्यावहारिकता के दृष्टिकोण से तो इन दोनों के मध्यम मार्गी है। मानव का प्रकृति से गहरा संबंध है।

www.ignited.in

प्रकृति और पर्यावरण

प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का दृष्टिकोण पश्चिम के लोगों का है जबकि भारतीय दृष्टिकोण में प्रकृति हमारे लिये पूजनीय रही है। भारतीय मूल्य प्रकृति को पोषण करने का है दोहन करने का ना कि शोषण करने का अतः इसे नैतिक कृत्य समझा जा सकता है। समझने की दृष्टि से हम यह कह सकते हैं कि गाय का दोहन करते हैं- वह हमें दूध देती है। परन्तु दोहन से पूर्व हम उसका पोषण करते हैं, अतः उक्त दोहन नैतिक कार्य है। यदि गाय का पोषण न कर केवल दोहन में ही विश्वास रखते हैं तो उसे अनैतिकता की श्रेणी में समझा जायेगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि भारतीय नागरिक भी पश्चिम के भौतिकवादी विकास की अंधी दौड़ और चकाचैंध संस्कृति से प्रभावित होकर पानी के स्त्रोतों, हवा, नदियों व जमीन को प्रदूषित करने में अग्रसर होते जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण असंतुलन बढ़ता ही जा रहा है जो नैतिक दृष्टि से अवांछनीय है, इस प्रकार के प्रदूषित वातावरण के फलस्वरूप सामाजिक असंतुलन से असमानता, संघर्ष, शोषण की प्रवृत्ति, अत्याचार, अनाचार, व्याभिचार, स्वयं के स्वार्थ हेतु समाज को बली वेदी पर चढ़ा देना आदि-आदि बढ़ते जा रहे हैं जिसे भारतीय मूल्यों के प्रतिकूल ही समझा जायेगा। कहने का आशय यह है कि हमारा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पर्यावरण निरंतर गड़बड़ा रहा है जो नैतिक दृष्टि से भी अनुचित है। स्वार्थमय प्रवृत्ति को समाप्त कर पर्यावरण को व्यक्तिगत या संकुचित दृष्टि से न देखकर समग्र दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता है जो व्यक्तिगत से ऊपर उठकर मानव मात्र पर पर्यावरण असंतुलन से पड़ने वाले दुष्प्रभावां को खत्म करते हुए मानव एवं प्रकृति के बीच सह अस्तित्व की अभिवृत्तियों को विकास करने की आवश्यकता है जो नैतिक आधार पर खरे उतर सकें। अतः मानव प्रकृति का एक दूसरे से सह संबंध और उन सबका प्रकृति से सह-अस्तित्व के आधार पर नैतिकता को समझा जा सकता है।

प्रकृति की सुन्दरता जो कला के रूप में हमारे सम्मुख प्रकट होती है जो हमारे दिल और दिमाग को लुभाती है। इस सुन्दरता में सम्पूर्ण जीवन, हमारी खुशियाँ हमारी खोजों, आविष्कार एवं सुख और स्वास्थ्य आदि सब कुछ सम्मिलित हैं। अर्थात् प्रकृति की परिधि के बाहर हम कुछ नहीं सोच सकते। अतः यह हमारा अभिन्न जीवन है। मानव समाज को इसके साथ दोहन इतना ही करना चाहिये जितना कि व्यक्ति एवं समाज के निर्वाह एवं विकास हेतु आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति विशेष अपने ही स्तर पर समाज हित में प्रकृति का दोहन कर रहा है जिससे संतुलन नहीं बिगड़ रहा है तो उसे नैतिक कृत्य ही समझा जा सकता है और वही व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से कृत्य करते हुए पर्यावरण सन्तुलन को नहीं बिगाड़ते हुए कार्य करता है जिसका परिणाम सारी मानव जाति के हित में सिद्ध होने जा रहा है तो ऐसे व्यक्ति का कृत्य भी नैतिकता से कार्य करता हुआ समझा जायेगा। लेकिन कभी-कभी व्यक्तिगत रूप से कार्य सम्पादन में पर्यावरण को प्रभावित करते हुए कार्य करता है जो सार्वजनिक हित में हो, तो ऐसे कृत्यों को नैतिकता की श्रेणी में ही रखा जायेगा। क्योंकि उसने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ हेतु पर्यावरण को प्रदूषित नहीं किया है, बल्कि मानव समाज के हितों को साधने के लिये किया है। इसके विरूद्ध यदि मनुष्य प्रकृति के दोहन और संरक्षण की भावात्मक भावना को लेकर समाज के विरूद्ध कार्य करता है तो इस प्रकार के व्यक्तिगत हित समस्त मानव जाति के समान एवं सामूहिक नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि मनुष्य का समान हित सर्वापरि होता है उस समय भावात्मकता एवं व्यक्तिगत दृष्टिकोण गौण हो जाते हैं।

यह निर्विवाद तथ्य है कि पर्यावरण संरक्षण मानव का स्वयं अपने हित में, सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्व है। अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने का कृत्य व्यक्ति निजी हितों से प्रेरित होकर करता है, इस तरह उसके द्वारा सामूहिक अहित का अपराध अनजाने हो जाता है। स्वयं ही अज्ञानतावश अपनी ही संतानों की भलाई की अनदेखी करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिये ही अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर विधिसम्मत प्रावधानों की आवश्यकता मानव जाति के हित चिन्तकों ने गंभीरता से अनुभव की है। तद्नुसार सम्पूर्ण विश्व में कानूनों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण का सैद्धांतिक आधार सामाजिक न्याय है। पृथ्वी किसी एक की व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं है पूर्वजों से प्राप्त इस धरोहर की रक्षा का, आगामी पीढ़ियों के हित में हमारी पीढ़ि का नैतिक दायित्व है। आर्थिक और भौतिक विकास की अंधी दौड़ में हमारे पर्यावरण को अकल्पनीय क्षति पहुंचाई है। इसमें विश्व के विकसित राष्ट्रीय का अपराध सर्वाधिक है। पर्यावरण की क्षति को वर्तमान परिणाम और भावी संभावनाओं पर सर्वप्रथम ध्यान भी पश्चिमी राष्ट्रों का ही गया है। पर्यावरण संरक्षण एक वैचारिक आन्दोलन के रूप में पश्चिमी राजनीति में सर्वप्रथम 1970 के दशक में उभर कर सामने आया और आज पूरे विश्व में फैल गया है। जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए विश्व के राष्ट्र डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में 7-18 दिसम्बर 2009 में एकत्रित हुए इस सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था विकसित और विकासशील राष्ट्र 2020 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी कटौती लाने की घोषणा करें तथा विकसित राष्ट्र, विकासशील एवं गरीब

राष्ट्रों को इन खतरों से निपटने के लिए आर्थिक एवं तकनीकी मदद प्रदान करने की घोषणा करें। इस सम्मेलन पर विश्व की नजर टिकी थी, किन्तु यह सम्मेलन बिना किसी ठोस निष्कर्ष पर ही समाप्त हो गया। पर्यावरणविदों के अनुसंधान, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों एवं राष्ट्रीय और प्रादेशिक अनुसंधानों से पर्यावरण की अनेक समस्यायें सामने आयी जिसमें जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत में छेद, नाभकीय प्रदूषण, रेडियोधर्मिता, वन सम्पदा का ह्रास, वन्य जीवों की घटती संख्या, पानी का गहराता संकट, जनसंख्या विस्फोट, खाद्यान्न संकट के साथ ही जल, वायु, ध्वनि, मृदा इत्यादि समस्यायें का स्वरूप ही देश और दुनिया के सामने आ चुका है।

पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु पर्यावरणीय स्थिति एवं समस्यायें:-

विश्व व्यापी पर्यावरणीय समस्याओं में मध्यप्रदेश और मध्यप्रदेश में दो संभाग जबलपुर और सागर संभाग तथा इनके अन्तर्गत सम्मिलित लगभग 13 जिलों का योगदान बिल्कुल नगण्य है। दोनों संभाग मध्यप्रदेश के मध्य दक्षिण में स्थित हैं। जिनका भौगोलिक विस्तार 91,894 वर्ग कि.मी है। जिसमें 2001 की जनगणना के अनुसार 1 करोड़ 68 लाख, 2 हजार 56 की आबादी निवास करती है। इनमें पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं का अध्ययन किया गया है। ध्वनि, वायु, जल, मृदा, नाभिकीय, ठोस अपशिष्ट, जैव, तापीय, समुद्री अनेक प्रकार की समस्यायें देश व्यापी एवं विश्वव्यापी सामने आयी लेकिन उक्त समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में जबलपुर और सागर संभाग का अध्ययन किया गया तो दोनों संभागों में मुख्यतया जल, वायु, ध्वनि, ठोस अपशिष्ट, जैव अपशिष्ट प्रदूषण संबंधी समस्यायेंही देखी जा सकती है। जबलपुर संभाग में स्टोन क्रेशर्स से धूल उसर्जन की समस्या, कटनी जिला में चूना भट्ठों में उत्पन्न वायु प्रदूषण की समस्या, डेयरी उद्योगों में परियट नदी इमलिया में प्रदूषण की समस्या, प्रमुख रूप से सामने आयी। इसके अतिरिक्त संभाग को औद्योगिक संभाग भी कहा जाता है। मध्यप्रदेश के चार महानगरों में एक जबलपुर में कारखाना अधिनियम अन्तर्गत 245 उद्योग पंजीकृत हैं। जबकि पंजीकृत लघु उद्योगों की संख्या 1158 है। इन उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्टों से जहां इनके आसपास बहने वाली प्राकृतिक जल स्त्रोत दूषित है। वहीं इनकी चिमनियों से निकलने वाला धुआं वायु को प्रदूषित कर रहा है। उद्योग और वाहनों की अधिकाधिक आवाजाही ने जल, ध्वनि और वायु तीनों प्रकार के प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है।

जनसंख्या की अधिकता से गंदगी, भुखमरी, निर्धनता, बेरोजगारी, अपराध और तरह-तरह की सामाजिक समस्यायें जन्मी है। जबलपुर संभाग स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये अत्यधिक प्रसिद्ध है। यहां एलोपैथिक और आयुर्वेदिक सभी प्रकार की लगभग 10 हजार से अधिक शासकीय और अशासकीय स्वास्थ्य केन्द्र है जिनसे निकलने वाला अपशिष्ट, नगरीय निकायों में एकत्रित होने वाले अपशिष्ट और उपयोग होने वाली पोलीथिन एवं खतरनाक अपशिष्टों से पर्यावरण की समस्यायें उत्पन्न हुई है। इसी तरह सागर संभाग में शासन द्वारा प्रदूषण से संबंधित तीन प्रकार की समस्याओं का उल्लेख किया गया, ध्वनि, वायु और जल। जिसके प्रदूषक हैं वाहन, नगरीय निकायों से उत्सर्जित जल, मल, कचरा, पोलीथिन, प्लास्टिक तथा जैव अपशिष्ट इत्यादि। इस तरह दोनों संभागों में पर्यावरण प्रदूषण सर्वाधिक जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट में जबकि सागर संभाग में सागर, दमोह, छतरपुर में उल्लेखनीय है।

पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु संभागीय प्रयास:-

पर्यावरण प्रदूषण को रोकने या नियंत्रित करने जहां पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार और मध्यप्रदेश शासन कार्य करता है वहीं पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिये देश के अन्य मंत्रालय, जल संसाधन, वन इत्यादि भी कार्य करते हैं। लेकिन इन सब में अहम भूमिका पर्यावरण विभाग की होती है। जो पर्यावरण प्रदूषकों की जांच कर उनके विरूद्ध कार्यवाही करने जिला प्रशासन और न्यायालय को मामले प्रस्तुत करती है। इस दृष्टि से पर्यावरण एवं हाऊसिंग मंत्रालय मध्यप्रदेश शासन के अधीन कार्यरत म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कीभूमिका उल्लेखनीय है। जबलपुर और सागर दोनों संभागों में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित है। जो प्रदूषण नियंत्रण के लिये सतत् कार्य, नवीन अनुसंधान, जन जागरूकता के लिये तथा प्रदूषकों की जांच कर कार्यवाही के लिये प्रकरण तैयार करने का कार्य करती चली आ रही है।

विशिष्ट मेलों में सार्वजनिक प्रदर्शनियों एवं प्रचार प्रसार कर भी जन जागृति लाने की कोशिश शासन द्वारा की जाती है। इसके बाद भी यह प्रयास पर्याप्त नहीं है शासन और सामाजिक संस्थाओं के प्रयासों एवं कार्यों से प्रदूषण की समस्या नियंत्रित नहीं हो सकती, बहुत जरूरी है मनुष्य और प्रकृतिक के बीच बढ़ रही दूरियों को कम करने की। इस बढ़ती खायी को पाटने की। इसके लिये शासन की औपचारिक कार्यवाही कारगुजारी और सामाजिक संस्थाओं के दिखावे के समान प्रयास कारगर नहीं हो सकते, तब तक, जब तक आम नागरिक इस मुहिम का हिस्सा

www.ignited.in

न बन जाये। आम नागरिकों में जब तक प्रकृति के संरक्षण एवं संवर्द्धन तथा पर्यावरण को सुरक्षित बनाये रखने की नैतिक जिम्मेदारी का एहसास आचरण में तब्दील नहीं होगा जब तक पर्यावरण संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिकार एवं कानूनों से भी बहुत बड़े परिवर्तन की संभावना एक दिवा स्वप्न ही साबित होगी। शोध अध्ययन से एक बात निकलकर सामने आयी कि जबलपुर संभाग में पेंच और नर्मदा नदी को प्रदूषण से बचाने तथा इसमें जल ग्रीष्मकाल में भी पर्याप्त बना रहे इसके लिये आम नागरिकों को विभिन्न बैनर और समूहों के साथ आगे आना पड़ा जल स्तर को बनाये रखने छोटे-छोटे शहरों एवं गांवों में बोरी बंधान किया गया तथा श्रमदान कर उसमें से कचरा निकालकर उसके जल को साफ किया गया, इसी तरह सागर संभाग में सागर के तालाब को आम जनता ने संरक्षण दिया मुहिम के तहत सुनार नदी को हटा, रहली, गढ़ाकोटा में लोगों ने बड़ी मात्रा में साफ-सफाई की तथा बोरी बंधान किया। यह ऐसे कार्य हैं, जिन पर शासन करोड़ों खर्च भी करता, तब भी वह परिणाम प्राप्त नहीं हाता जो बगैर खर्च किये प्राप्त हुआ। पर्यावरण प्रदूषक कानून, नियम अधिनियम और शासन के लट्ठ से कम आम नागरिकों की तलवार की तरह तेज निगाहों की धार, उनकी जागृति जुनूनों और सामूहिक अभियान एवं कार्यवाही से ज्यादा डरती है।

खोजी पत्रकार और हमारे शोध कार्य की प्रकृति भले ही अलग-अलग हो लेकिन मैंने शोध कार्य करते समय बहुत सारे अवसरों पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं शोधकर्ता नहीं बल्कि एक खोजी पत्रकार की भूमिका का निर्वहन कर रही हूं। खासकर तब, जब जबलपुर संभाग में बालाघाट, कटनी, जबलपुर और छिंदवाड़ा में स्थित रासायनिक उद्योगों, कल-कारखानों और स्टोन क्रेशर्स से निकलने वाले धुएं और अवशिष्ट से हो रहे पर्यावरण प्रदूषण को शोध प्रबंध में चित्रित करने के लिये मैं छायाचित्र खींच रही थी और दूसरे तब, जब हिन्दू धर्म के महत्वपूर्ण पर्व नवरात्रि पर्व पर देवी विसर्जन के छायाचित्रों को कैमरे में कैद करते समय इसके अतिरिक्त पर्यावरणीय समस्याओं के ज्ञात करने के लिये चिकित्सालयों और नगरीय निकायों से निकलने वाले अवशिष्टों को खोजते और तथ्यों को एकत्रित करते समय। एक महिला शोधार्थी होने के कारण अनेक निजी और शासकीय संस्थाओं में यश और अपयश दोनों का सामना करना पड़ा। शासकीय तथ्यों को जुटाने में मुझे काफी कठिनाई महसूस हुई। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सागर और जबलपुर स्थित संभागीय कार्यालयों से तथ्यों को जुटाने में मुझे सूचना के अधिकार अधिनियम का सहारा लेना पड़ा। वहीं दोनों संभागों की प्राथमिक जानकारी के लिये संभागीय कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों के कई बार चक्कर लगाने पड़े, फिर भी शोध प्रबंधन में प्राथमिक और द्वितीयक समंकों का उपयोग किया गया और यथासंभव समस्या और समाधान के तथ्यांकित विश्लेषण में वस्तुनिष्ठता को ध्यान में रखा गया। पर्यावरण संरक्षण के लिये सुझाव:-

शोध उपरान्त शोधार्थी ने यह अनुभव किया कि पर्यावरण संरक्षण और संवर्द्धन हेतु शासकीय प्रयास ही पर्याप्त नहीं है, इसके लिये शोधार्थी ने अनेक सुझाव पस्तुत किये हैं:-

यथासंभव प्रदूषण किया ही न जाये:-

- "उपयोग करो और फैंको" की संस्कृति प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है। अतः ऐसे आइटम का कम से कम उपयोग किया जाए, जो प्रदूषण को बढ़ाते हैं और कहीं भी न फेंककर उसे व्यवस्थित किया जाये। उदाहरणार्थ बाजार से सामान लाने की प्लास्टिक की थैलियाँ, खाने-पीने के काम आने वाले प्लास्टिक के प्याले, प्लेट, बोतल अनेक चिकित्सा उपकरण इत्यादि को गलाकर पुनः वस्तुएं बनायी जाये।
- प्रदूषणकारी उद्योग यथासंभव लगाये ही न जाये। उनकी जगह श्रम आधारित कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाये।
- डीजल, पेट्रोल चालित व्यक्तित वाहनों का उपयोग घटाया जाये, सार्वजनिक वाहनों का उपयोग किया जाए।
- बसों की जगह ट्रेन यात्राओं को वरीयता दी जाये।
- किसी भी कचरे (आर्गेनिक वेस्ट) को जलाया न जाये, खुला न फेंका जाये, बल्कि रिसाइकल कर आर्गेनिक खाद बनाया जाये।
- ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयाग यथासंभव घटाया जाये। इसके भयंकर दुष्परिणामों से जन-सामान्य को अवगत कराया जाये।

प्रदूषण रहित वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग बढ़ाया जाये:-

- पेट्रोलियम ऊर्जा के स्थान पर पशु ऊर्जा का उपयोग बढ़ाया जाये। पशु ऊर्जा का उपयोग मैकेनिकल ऊर्जा एवं बायोगैस ऊर्जा के रूप में किया जा सकता है, जिससे कृषि ऊर्जा, घरेलू ईंधन व परिवहन ऊर्जा की

www.ignited.in

आवश्यकताएं पूरी की जा सकती हैं। बैल से ग्रामीण स्तर पर विद्युत ऊर्जा भी बनायी जा सकती है।

- साइकिल के उपयोग का बढ़ाया जाये, इसके उपयोग में गौरव अनुभव किया जाए, चीन में साइकिलों की संख्या भारत से 8 गुना अधिक है। इसके उपयोग से प्रदूषण एवं राष्ट्रीय ऊर्जा संकट का बड़े पैमाने पर समाधान होगा। पेट्रोलियम पदार्थों में खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा बचेगी, उपयोग करने वालों का स्वास्थ्य सुधरेगा। युगऋषि पं. श्रीराम शर्मा आचार्य ने साइकिल को 21वीं सदी का वाहन घोषित किया है।

- भोजन पकाने, पानी गरम करने में सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाया जाए, जहाँ संस्थाएं खर्च वहन कर सकती हैं, वहाँ सौर विद्युत का उपयोग राष्ट्रीय कर्तव्य मानकर किया जाए।

ऊर्जा संरक्षण:-

(अ) भोजन पकाने में चैड़े तले के बरतनों का उपयोग किया जाए।

कचरे की सुव्यवस्था की जाये:-

- घरेलू कचरे को एक ही पात्र में डालने के बजाए, डिग्रेडेबिल तथा नोनडिग्रेडेबिल (प्लास्टिक, लोहा, कांच आदि) को अलग-अलग रखने की व्यवस्था की जाए। डिग्रेडेबिल वेस्ट से कम्पोस्ट या केंचुआ खाद बनाई जाए।

- गाँव के सामूहिक कचरे को जलाने या घूरे के रूप में फेंकने के बजाए कम्पोस्ट खाद बनाने में उपयोग किया जाए।

- नगरों में गा बेज डिस्पोजल (घरेलू वेस्ट, बजारू यार्ड वेस्ट, सब्जी मंडी वेस्ट, रेस्टोरेंट वेस्ट आदि) एक समस्या बन गई है। शहरी कचरे से कम्पोस्ट खाद केंचुआ खान, ईंधन गैस एवं विद्युत बनाकर इस समस्या को लाभकारी उद्योग के रूप में बदला जा सकता है।

- प्लास्टिक का उपयोग करना सीवेज एवं जानवरों के लिये भारी समस्या बन गया है। इन थैलियों के बनाने व उपयोग करने के नियमों को कड़ाई से लागू किया जाये।

निष्कर्ष:-

अतः कहा जा सकता है कि पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिये आम नागरिकों को अपनी नैतिक जिम्मेदारियों के निर्वाहन और संयम के साथ आगे आना पड़ेगा तभी पर्यावरण संरक्षण संवर्द्धन और प्रदूषण को नियंत्रित करने की शासकीय तथा स्वयं सेवी संस्थाओं की कारगुजारी एक बहुत बड़े परिणाम को निर्मित कर पायेगी, क्योंकि वर्तमान में कार्यों से ही भविष्य की उन्नति तय होती है। हम चाहेंगे कि भविष्य उन्नत हो, सारे मानव मात्र सुखी हों, भविष्य उज्जवल हो तो प्रकृति पर विजय करने की बात उसी स्तर तक सोचें जिस स्तर पर अपने आपको एवं पर्यावरण का सेवक भी मानें। मनुष्य के सोचने के दृष्टिकोण में विस्तृत आधार एवं सारे विश्व को एक परिवार आदि विचारों को हृदयंगम करवाने हेतु सार्वजनिक एवं सार्वभौम शिक्षा व्यवस्था की अत्यंत आवश्यकता है, जो प्रकृति के उपयोग और रक्षा संबंधी सभी प्रकार की समस्याओं को दृष्टि में रखते हुए प्रदान की जानी चाहिये। हम सभी अपने व्यवहार से अन्य साथियों को प्रभावित करते हैं। हम एक दूसरे के शिक्षक व विद्यार्थी दोनों ही हैं। आधुनिक युग में वैज्ञानिक सामान्यतः यह तय करता है कि मानव का प्रकृति से व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक किस प्रकार का सहसंबंध है। अपने व्यवहारों में हम किन-किन नियमों से निर्देशित होते हैं। इस प्रकार के विचारों से वैज्ञानिकों की क्रियाओं से जो फल प्राप्ति होगी, उससे प्रकृति को कम से कम दोहन करते हुए समाज के उद्देश्यों एवं कार्यों को अधिक अच्छे ढंग से पूरा कर सकते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ

1. अवस्थी, नरेन्द्र मोहन एवं तिवारी आर. पी. (2005). पर्यावरण भूगोल, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल

2. अस्थाना, डी.के. एंड मीरा (2006). इनवायरमेन्ट प्राब्लम एंड सालुशन, एलसेवियर पब्लिकेशंस, नई दिल्ली।

3. डेनियल, बी.बी. एन्ड, ए.के. एडवर्ड (1987). एनवायरमेंटल स्टडीज, द एर्थ एज ए लिविंग प्लानेट, ओहिसो, यू.एस.ए.।

4. गिरि, एच.एन. (1984). पर्यावरण विधि. इलाहाबाद लॉ एजेन्सी पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद।

www.ignited.in

5. कोली, हरिनारायण (1996). पर्यावरण एवं मानव संसाधन, पोइन्टर पब्लिशर्स हाईव, जयपुर।

6. महेश्वरी जे.के. (1989). द नीड फार कंजरवेशन ऑफ़ फ्लोर एण्ड फ्लोरल पेर्विसेज ऑफ़ साउथ ईस्ट एशिया, आइयूसी एन पब्लिकेशंस, नई दिल्ली।

7. नेगी, पी.एस. (1994). परिस्थितिकीय विकास एवं पर्यावरण भूगोल, रस्तोगी एण्ड कं. नई दिल्ली।

8. पाण्डेय, जी.एन. (1997). एनवायरमेन्ट मैनेजमेंट. विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा.लिनई दिल्ली।

9. ऋग्वेद राम राजेन्द्र चंद्रकांत (1998). सामान्य पर्यावरण ज्ञान. भारतीय प्रकाशन संस्थान नई दिल्ली।

10. शास्त्री, सतीश (1990). पालूशर एण्ड द इनवायरमेन्ट लॉ रूपा बुक्स प्रा.लिजयपुर।

11. श्रीवास्तव, वी.के. एवं राव वी.पी. (2001). पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, वसुंधरा प्रकाशन, गोरखपुर।

12. शर्मा, आर.सी. (1986). पर्यावरण शिक्षा सर्विसेज, पब्लिशिंग हाऊस, हमीदिया रोड, भोपाल एनवायरमेन्टल एजुकेशन, मेट्रोपोलिटन बुक कं. प्रा.लि. नई दिल्ली।

Corresponding Author

Rajiv Sharma*

Assistant Professor, RKSD College of Education, Kaithal, Haryana-136027